

वि

प्रकरण व

आज दि 7-4-14 को
तुत

कलक ऑफ होट
राजस्व मण्डल म.प्र. कालियर

मिराकृत/निर्णीत/विस्त
आदेश दिनांक 11/5/14

रामाजी
राजस्व
म.प्र.

14

1. हरीसिंह
2. प्रहलाद पुत्रगण हरनारायण रावत
3. नीकेराम पुत्र रजमन सिंह
समस्त जाति रावत निवासी गण ग्राम नरौआ
तह. नरवर जिला शिवपुरी (म.प्र.)
याचिका कर्तागण

विरुद्ध

1. हरको पत्नि रामहेत
2. गीता पत्नि जगराम समस्त जाति प्रजापति
निवासीगण ग्राम नरौआ तह. नरवर जिला
शिवपुरी (म.प्र.)

प्रति याचिका कर्तागण

निगरानी अतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.-राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश
प्रकरण क्रमांक 5/13-14/आ 70 आदेश दिनांक 18.02.2014 पारित
द्वारा न्यायालय तहसीलदार नरवर जिला शिवपुरी (म.प्र.)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 1164/III/2014

जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
1-5-2014	<p>यह निगरानी तहसीलदार नरबर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 5/13-14/अ-70 में पारित आदेश दिनांक 18-2-14 के विरुद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2/ आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क श्रवण किये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदकगण के अभिभाषक ने प्रारंभिक तर्कों में बताया कि अनावेदकगण के नाम का खसरे में फर्जी प्रकरण क्रमांक 53/04-05 अ 19 डालकर, शासकीय भूमि उनके नाम अंकित कर दी गई। संहिता की धारा 250 का आवेदन अनावेदकगण द्वारा आवेदकगण को फसाने के लिये प्रस्तुत किया है और आवेदकगण ने तहसीलदार से आवेदन दिनांक 14-03-14 प्रस्तुत करके लंबित प्रकरण क्रमांक 11/12-13/बी-121 के संलग्नीकरण की मांग की थी किन्तु प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करके आदेश पारित करते हुये आगामी तिथि 25-2-14 नियत करने में भूल की गई है इसलिये निगरानी ग्राह्य की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त किया जावे।</p> <p>3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एवं निगरानी मेमो के तथ्यों के तथा तहसीलदार के आदेश दिनांक 18-2-14 के अवलोकन से पाया गया कि तहसीलदार</p>	

